

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान -
किस्म:-

जमीला बानो
दावा

बनाम
मु.नं -

अलहमदो व अन्य
332/वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
27.08.2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री नोपाराम जांगिड द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये रजि0 डाक/ स्पीड पोस्ट से जारी कर तामील करावें। पत्रावली आगामी तारीख पेशी 17.09.2024 को पेश हो।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी सीकर</p>	
17-9-24	<p>पत्रावली पेश हुई / प्रतिवादीस. 1 व 2 की ओर से अधि की नसीर अहमद खान ने वकालतनामा पेश किया / वादिया द्वारा आवेदन इस आशय का पेश किया गया है कि यह दावा आपसी गलत फहमी में पेश किया गया था, समाज के मौजूब व्यक्तियों ने आपस में राजीनामा करवा दिया है, प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती हूँ, प्रकरण को खारिज किया जावे / वादियों की पहचान अधि. वादियां की नोपाराम जांगिड द्वारा की गई। अतः वाद वादियों को वादियों के अनुरोध एवं अधिवक्ता वादिया की पहचान पर खारिज किया जाता है। पत्रा. फंसल शुमार होकर नम्बर से कम है। दाखिल इफतर है। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।</p> <p align="right">17/09/24 उपखण्ड अधिकारी, सीकर</p>	<p>Not present जमीला पहचान 17/9/24</p>